भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2153

दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पार्थिव शरीर लाने के लिए ई-पंजीकरण को अनिवार्य करना

2153. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विदेशों से पार्थिव शरीर लाने के लिए ई-पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार की योजना हमारे मिशनों की वेबसाइट के माध्यम से विदेशों में जागरूकता फैलाने/प्रचार करने की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इस प्रकार का कानून लाने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(च) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि इस कदम से विदेशों से पार्थिव शरीर लाने में काफी कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (छ): द इंडियन एयर क्राफ्ट पब्लिक हेल्थ रूल्स, 1954 में पार्थिव शरीरों या अवशेषों को भारत ले जाने के लिए अनिवार्य स्वीकृति का प्रावधान है। ई-सीएआरई (पार्थिव शरीरों के संबंध में ई-स्वीकृत) पोर्टल समन्वय के कई चरणों को सरल बनाने और विदेशों से पार्थिव शरीरों या उसके अवशेषों को लाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विकसित किया गया है।

यह पोर्टल निम्नलिखित हितधारकों जैसे कि मृतक के इस देश में परिवार के सदस्यों, सहकर्मियों, मित्रों, रिश्तेदारों, को मानव अवशेषों के परिवहन में मदद करने वाले गैर सरकारी संगठनों, एम्बलर्स, अंतिम संस्कार कराने वालों, दूतावास / वाणिज्य दूतावास आदि, और हवाई अड्डे के स्वास्थ्य संगठनों (एपीएचओ) के नोडल अधिकारियों के लिए एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल वैध अनिवार्य दस्तावेजों को अपलोड करके स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की ऑनलाइन ट्रैकिंग के कारण तेजी से स्वीकृति प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि, ईमेल द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की भी अनुमति है।

जागरूकता पैदा करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठनों को पोर्टल के बारे में उन्मुख किया है और नियमित आधार पर इसके उपयोग पर सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है। उपयोगकर्ता मैनुअल और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न https://ihpoe.mohfw.gov.in/humanremains.php.पर उपलब्ध हैं।

*****